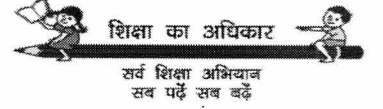




महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक



कार्यालय—समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ—226 007

वेब साईट : www.upefa.com ई-मेल : upefaspo@gmail.com

दूरभाष 0522-4024440, 2780384,

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक: गुण०वि०/स्कूल रीओपेनिंग/ 3350 /2021-22 दिनांक: 29 सितम्बर, 2021

विषय: परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन संचालन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक—गुण०वि०/स्कूल रीओपेनिंग/2953/2021-22 दिनांक 03 सितम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन संचालन के संबंध में है। उक्त पत्र के माध्यम से समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कोविड काल के उपरांत पुनः विद्यालय खुलने की स्थिति में किस प्रकार की शैक्षिक गतिविधियाँ की जानी हैं, के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किए गए हैं।

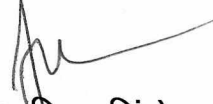
उक्त पत्र के द्वारा समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समय सारिणी व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, विद्यालय स्तर पर पठन-पाठन तथा बच्चों को विद्यालयी वातावरण से सहज होने एवं भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न खेल गतिविधियाँ कराने, हिन्दी व गणित पर गतिविधि आधारित कार्य कराने, **प्राथमिक स्तर पर** समृद्ध संदर्शिका, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच सामग्री जैसे-कहानी, चित्र व कविता पोस्टर, गणित पोस्टर, अभ्यास कार्ड, गणित किट, टी०एल०एम० आदि का व्यापक प्रयोग व **उच्च प्राथमिक स्तर पर** "ध्यानाकर्षण" मॉड्यूल का प्रयोग करने के साथ ही अग्रिम आदेशों तक किसी प्रकार की परीक्षा नहीं लिये जाने, एस०आर०जी० एवं संबंधित विकासखण्ड के ए०आर०पी० द्वारा विद्यालयों का **सपोर्टिव सुपरविजन** सुनिश्चित करने, समुदाय का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने तथा ई-पाठशाला से संबंधित गतिविधियाँ जारी रखने की अपेक्षा की गई है। ये सभी गतिविधियाँ परिषदीय विद्यालयों में संचालित की जा रही हैं।

उपर्युक्त वर्णित समस्त सामग्रियों का प्रयोग एवं सपोर्टिव सुपरविजन आदि का क्रियान्वयन परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुनिश्चित किये जाने के संबंध में निर्देश पूर्व में

ही प्रेषित हैं। अतः यह स्वतः स्पष्ट है कि उक्त पत्र प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ही प्रभावी है। उक्त पत्रांक—गुण0वि0/स्कूल रीओपेनिंग/2953/2021-22 दिनांक 03 सितम्बर, 2021 द्वारा निर्गत निर्देश अन्य बोर्ड अथवा प्राइवेट विद्यालयों से संबंधित नहीं हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) में प्रदत्त दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु किया जाये।

संलग्नक—उक्तवत्।

भवदीया,


(अनामिका सिंह)
महानिदेशक
स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश

पृ0सं0: गुण0वि0/स्कूल रीओपेनिंग/ 3350 /2021-22 तददिनांक।

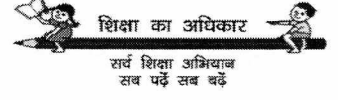
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0।
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, उ0प्र0।
9. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला परियोजना कार्यालय, समस्त जनपद, उ0प्र0।


(अनामिका सिंह)
महानिदेशक
d/c स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक



कार्यालय-समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ-226 007

वेब साईट : www.upefa.com

ई-मेल : upefaspo@gmail.com

दूरभाष 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक: गुण०वि०/स्कूल रीओपेनिंग/ 2953 /2021-22

दिनांक: 03/09/2021

विषय:- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन संचालन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 1209/68-5-2021 दिनांक- 18 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 सितम्बर, 2021 से प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कोविड-19 महामारी के कारण एक लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो रहा है। कोविड महामारी के दौरान लम्बे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बन्द होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिये शिक्षकों के समक्ष यह चुनौती है कि वे किस प्रकार सभी बच्चों को कक्षानुसार अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें।

तत्कम में निम्नवत् निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं :-

1. विद्यालय की समय सारिणी

- ❖ विद्यालय पूर्व प्रेषित निर्देश एवं निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संचालित किये जायेंगे।
- ❖ विद्यालय की समय-सारिणी व पठन-पाठन की स्थिति के संबंध में समस्त अभिभावकों को अग्रिम जानकारी अवश्य दी जाये ताकि वे बच्चों को समय से विद्यालय भेजें।
- ❖ विद्यालय में उपस्थित होने वाले बच्चों की संख्या अधिक होने की दशा में पठन-पाठन पत्रांक-महा०नि०स्कू०शि०/2573/2021-22 दिनांक 18 अगस्त, 2021 के अनुसार दो पालियों (प्रत्येक पाली 03 घंटे की होगी) में संचालित कराया जाये।
- ❖ ऐसे विद्यालय जहाँ कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है, उन विद्यालयों में शैक्षणिक समय प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक यथावत् रहेगा।

2. कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन

- ❖ विद्यालय संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय में बुलाया जाये तथा उनके बैठने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में पूर्व में प्रेषित निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- ❖ प्रत्येक अभिभावक को विद्यालय में पालन किये जाने वाले कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी दी जाये तथा उन्हें भी इसके पालन के लिए प्रेरित किया जाये। बच्चों को विद्यालय भेजने के संबंध में उनकी सहमति भी अवश्य प्राप्त की जाये।
- ❖ विद्यालय परिसर में बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत तथा बच्चों के मध्य सामाजिक एवं व्यवहारात्मक संवाद को प्रभावी रूप से लागू किये जाने के उद्देश्य से जल एवं स्वच्छता विषय पर कोविड महामारी से बचाव हेतु सामाजिक व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद संवाद सामग्री (पोस्टर, जॉब एड्स, वॉल पेंटिंग, लघु फिल्मों) यूनिसेफ के सहयोग तैयार की गयी है। उक्त समस्त सामग्री को निम्नवत् लिंक के माध्यम से डाउनलोड करते हुये पोस्टर एवं जॉब एड का प्रिन्ट आउट निकालकर निर्धारित स्थानों यथा-विद्यालय के मुख्य द्वार, रसोईघर, मल्टीपल हैन्ड वॉशिंग यूनित, शौचालय/मूत्रालय इत्यादि स्थानों पर चस्पा किये जाये। इसके साथ ही उक्त लघु फिल्मों को प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों, विद्यालय के अन्य स्टाफ, अभिभावकों एवं अन्य आगन्तुकों के साथ साझा किया जाये जिससे कि अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

<https://www.dropbox.com/sh/a9p5msqu7kaqu4c/AACvWWl9gtSyziebYTdv4C3Va?dl=0>

3. विद्यालय स्तर पर पठन-पाठन

- ❖ बच्चे काफी लंबे अंतराल के पश्चात् विद्यालय आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना के भयावह रूप को भी देखा व अनुभव किया है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन्हें विद्यालय के वातावरण से सहज होने दें। उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। बच्चों के विद्यालय आते ही उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ न डाला जाये।
- ❖ बच्चों को विद्यालयी वातावरण से सहज होने तथा भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ विभिन्न खेल गतिविधियाँ करायी जायें। ऐसी कई गतिविधियाँ आधारशिला, ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई हैं।
- ❖ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये हिन्दी व गणित विषय में भी प्रारंभिक दिनों में गतिविधियाँ कराने पर फोकस किया जाये। बच्चों को अपनी गति से सीखने तथा कार्य करने के पर्याप्त अवसर दिये जायें तथा सहज वातावरण में उनके साथ गतिविधियाँ की जायें।
- ❖ प्रथम/द्वितीय सप्ताह में गतिविधियों में प्रतिदिन बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी अवश्य सुनायें। कहानी के माध्यम से बच्चों को विद्यालयी वातावरण के साथ सहज होने में मदद मिलेगी तथा वे पठन-पाठन की प्रक्रिया से जुड़ाव अनुभव करेंगे। उसी प्रकार हाव-भाव के साथ कविता/गीत व कुछ खेल गतिविधि भी करायी जा सकती है। हिन्दी, गणित व अन्य विषयों में इनका प्रयोग किया जाये तथा विषय आधारित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रोचक व प्रभावी बनाया जाये।
- ❖ प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन 1 घंटा हिन्दी व 1 घंटा गणित पर कार्य अवश्य कराया जाये। अन्य समय में बच्चों के साथ खेल गतिविधियाँ की जायें तथा उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने का अवसर भी प्रदान किया जाये। सहज पुस्तिकाओं का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

- ❖ **प्राथमिक स्तर पर "समृद्ध" व उच्च प्राथमिक स्तर पर "ध्यानाकर्षण" मॉड्यूल** के अनुसार रिमीडियल टीचिंग की जाये। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षक फार्मेटिव तरीके से बच्चों के अधिगम का नियमित आकलन करें तथा उनकी प्रगति को प्रेरणा तालिका में अंकित करें।
- ❖ समृद्ध हस्तपुस्तिका के साथ-साथ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच सामग्री जैसे- कहानी, चित्र व कविता पोस्टर, गणित पोस्टर, अभ्यास कार्ड, गणित किट, टी0एल0एम0 आदि का व्यापक प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- ❖ **उच्च प्राथमिक स्तर पर** भी हिन्दी व गणित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि बच्चे इन विषयों की कक्षानुरूप मूलभूत दक्षतायें अर्जित कर सकें। इसके साथ ही विज्ञान व अंग्रेजी विषयों पर भी ध्यान दिया जाये।
- ❖ ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई 18 प्रभावी शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग किया जाये तथा बच्चों को स्वयं अनुभव के द्वारा सीखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किये जायें।
- ❖ प्रत्येक शिक्षक द्वारा साप्ताहिक स्तर की शिक्षण व गतिविधियों की योजना शिक्षक डायरी में अवश्य अंकित की जाये। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षण/गतिविधि योजना की समीक्षा करते हुए यथाआवश्यक सुझाव भी दिये जायें।
- ❖ कोरोना के कारण लर्निंग गैप को दूर करने के लिये सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों के साथ गतिविधियों को करते हुए ही उनके वर्तमान शैक्षिक स्तर को समझें तथा उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनायें। अग्रिम आदेशों तक किसी भी स्थिति में बच्चों का किसी प्रकार का टेस्ट/परीक्षा (लिखित या मौखिक के माध्यम से) नहीं ली जायेगी।
- ❖ शिक्षकों के उपयोगार्थ शैक्षणिक सामग्री सप्ताहवार प्रेरणा पोर्टल पर भी अपलोड की गयी है। उक्त सामग्री के प्रयोग हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-
 - ✓ prernaup.in link पर क्लिक करें।
 - ✓ पोर्टल पर Teacher Corner में "School Readiness" पर क्लिक करें।
 - ✓ अपनी कक्षा एवं विषय के अनुसार सप्ताहवार सामग्री डाउनलोड करें।
 - ✓ उक्त शैक्षणिक सामग्री में उपचारात्मक शिक्षण हेतु कक्षावार कार्य पत्रक, कक्षा 1-3 के लिये स्कूल रेडिनेस की गतिविधियाँ एवं कक्षा 1-8 के लिये सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियाँ समाहित हैं।

4. सपोर्टिव सुपरविज़न

- ❖ एस0आर0जी0 तथा संबंधित विकासखण्ड के ए0आर0पी0 द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविज़न सुनिश्चित किया जायेगा। इस दौरान उनके द्वारा उपर्युक्त वर्णित तरीकों को विद्यालय स्तर पर प्रतिफलित होना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विद्यालय व शिक्षकों को अपेक्षित व यथाआवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- ❖ एस0आर0जी0/ए0आर0पी0/डायट मेंटर द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान रैंडम आधार पर कुछ बच्चों के साथ वार्ता कर उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति को जानने का प्रयास किया जायेगा। तदनुसार शिक्षकों को आवश्यक शैक्षिक सहयोग, हैंडहोल्डिंग व मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

- ❖ बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी अवश्य सुनायी जाये तथा किसी एक कक्षा में रोचक गतिविधि का डिमांस्ट्रेशन भी किया जाये।
- ❖ कम से कम दो अभिभावकों/समुदाय के सदस्यों से वार्ता कर पठन-पाठन के संबंध में उनके विचार से अवगत होते हुये विद्यालय में अपेक्षित सहयोग देने तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित भी किया जाये।
- ❖ प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों से वार्ता अवश्य की जाये तथा उन्हें रचनात्मक फीडबैक एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाये।

5. समुदाय का सहयोग

- ❖ माह में कम से कम एक बार (या आवश्यकतानुसार अधिक बार) एस0एम0सी0 व अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठक अवश्य की जाये तथा अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाये।
- ❖ लर्निंग गैप व कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए पठन-पाठन की स्थिति के बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाये तथा आगामी बैठक में रिमीडियल टीचिंग से बच्चों के अधिगम स्तर में आए सुधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाये। इसके साथ ही उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना भी की जाये।

6. ई-पाठशाला

- ❖ ई-पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री **प्रत्येक रविवार** को **सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप** के माध्यम से पूर्ववत् प्रेषित की जायेगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों/प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जायेगा।
- ❖ **राज्य स्तर से प्रत्येक शनिवार** को व्हाट्सएप के माध्यम से **साप्ताहिक विज** प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जायेगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों/प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जायेगा।
- ❖ राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं "आओ अंग्रेजी सीखें" एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकतानुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध करायी जायेगी। साझा की गयी सामग्री पर बच्चों को **अभ्यास** एवं हल करने के लिए निरन्तर प्रोत्साहित किया जायेगा। शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर **गतिविधि आधारित टी0एल0एम0** बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
- ❖ **दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 09 बजे से अपराह्न 01 बजे की अवधि** में कक्षानुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम देखने के लिये बच्चों/अभिभावकों को निरन्तर प्रेरित किया जाये।
- ❖ प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलांग ऐप और दीक्षा ऐप से जागरूक करने एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु **प्रत्येक सप्ताह** कमवार अभिभावकों को विद्यालय में आने हेतु अनुरोध किया जाये, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित किया जा सके।
- ❖ जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाये तथा **होम विजिट्स** के माध्यम से उनकी काउन्सिलिंग करते हुए बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये।

❖ प्रेरणा साथी से पूर्ववत् अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाये।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों का सम्यक् अनुपालन करने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों, जिला समन्वयकों, एस0आर0जी0/ए0आर0पी0/प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
महानिदेशक
स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश

पृ0सं0: गुण0वि0/स्कूल रीओपेनिंग/ /2021-22 तददिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0।
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, उ0प्र0।
9. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला परियोजना कार्यालय, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(अनामिका सिंह)
महानिदेशक
स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश